सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर

श्रीमती इशरा व अन्य बनाम श्री अमसुद्दीन व अन्य

किस्म मुकदमा 912 सीपि मु0न0 55/18 सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म कीतामील में जारी हुए
02-7-19	बकुलाए. फरी. उप./वलीन अपार्थी ने मूल वाद में प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जा.दि.व. जवाब व ख.नं. 200 को वाद से डिलीट करने का प्रस्तुत किया। दोनों अधिवक्तागण उभयपक्षान ने उक्त प्रार्थना स्वीकार किये जाने तथा वाद/प्रार्थना में से ख.सं. 200 डिलीट किये जाने पर सहमति व्यक्त की। अतः प्रार्थना स्वीकार किया जाकर इस प्रार्थना में भी ख.नं. 196 जोड़ने व ख.नं. 200 को डीलीट किये जाने के आदेश दिए जाते है। ख.सं. 200 (200) की सीमा तक अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। तदनुसार वलीन प्रार्थी संशोधित प्रार्थना /उनवान प्रस्तुत करे। पत्रावली दिनांक 22-07-19 को पेश हो। (जसमीतसिंह संधू) उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर ब्यावर	
22-07-19	वलीन प्रार्थीगण व स्वयं प्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थीगण व उनके अधिवक्ता को कक्ष-कक्ष कर कई बार आवाजे लगवाई गई, परन्तु कोई हाजिर नहीं आए। अतः प्रकरण अदम हाजरी व अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (जसमीतसिंह संधू) उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर ब्यावर	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Jasmeet Singh Sandhu
Date: 2019.12.07 13:34:06 IST
Reason: SelfAttested